कृपया प्रकाशनार्थ - **2 नवंबर 2012**

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडित मछुआरों के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए पुनर्वास मंत्री का निर्देश

मुंबई, शुक्रवार : तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडित मछुआरों के पुनर्वास के लिए सागर किनारे पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण विकल्प के तौर पर क्या उन्हें पालघर तालुका में ही भूमि उपलब्ध हो सकती है क्या इसलिए सर्वेक्षण कराने के निर्देश पुनर्वास मंत्री डा. पतंगराव कदम ने आज ठाणे जिलाधिकारी श्री. पी. वेलरासु को दिए. पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक के नेतृत्व में आए प्रकल्पपीडित मछुआरों के प्रतिनिधी मंडल से विचारविमर्श करने के बाद पुनर्वास मंत्री ने यह निर्देश दिए. चर्चा के समय वरिष्ठ मछुआर श्री. श्रीधर तामोरे, सर्वश्री विजय तामोरे, प्रमोद आरेकर, वासुदेव नाईक, शेखर तामोरे, गणपत तामोरे, शरद तामोरे आदी मछुआरों के साथ - साथ पुनर्वास सचिव श्री. मिलिंद म्हसकर, ठाणे जिलाधिकारी श्री. पी. वेलरासु, पुनर्वास अधिकारी श्रीमती. वैदेही रानडे, आदी आला अधिकारी भी उपस्थित थे.

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2004 में मुंबई उच्च न्यायालय में दर्ज रिट याचिका में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक भी शामिल हुए हैं. इस याचिका के सुनवाई के दौरान पिछले वर्ष 21 नवंबर को न्या. बी. एच. मार्लापल्ले व न्या. (श्रीम) निशिता म्हात्रे के पीठ ने ठाणे जिलाधिकारी को निर्देश दिए थे कि अगर प्रकल्पपीडित 438 मछुआरों को सागर किनारे भूमि देना संभव नही है तो पालघर तालुका में प्रत्येक परिवार को एक हेक्टर भूमि देना संभव हैं क्या इसका सर्वेक्षण किया जाए. इस पर न्यायालय ने अपने यह निर्देश वापस लेने चाहिए ऐसी माँग न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ने की है. अपने माँग पत्र में कंपनी द्वारा श्री. राम नाईक पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होने न्यायालय को गलत तथा गुमराह करनेवाली जानकारी दी है. दुसरी ओर ठाणे जिलाधिकारी ने इस निर्देश पर अब तक अंमल ही नही किया. इस वजह से दुःखी मछुआरों ने आज श्री. राम नाईक के नेतृत्व में मिल कर पुनर्वास मंत्री डा. पतंगराव कदम से मदद का अनुरोध किया. राज्य सरकार ने इस संदर्भ में सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए यह प्रतिनिधी मंडल की माँग को स्वीकार करते हुए पुनर्वास मंत्री डा. कदम ने जिलाधिकारी को सर्वेक्षण के निर्देश दिए.

हर भूमीहिन परिवार को रु. 30,000 /- का अनुदान देने का निर्णय होकर आठ साल होने के बावजूद अब तक यह रकम नहीं दी हैं; इस बात की ओर प्रतिनिधी मंडल ने पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. इतनाही नहीं तो कई प्रकल्पपीडित परिवारों को जून 2006 से दिसंबर 2007 के कार्यकाल का प्रति माह रु. 2,500 का निवास के लिए किराया भी नहीं मिला इसकी भी जानकारी दी. इन दोनों भुगतानों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाए ऐसा आदेश भी पुनर्वास मंत्री डा. कदम ने दिया.

प्रकल्पपीडितों के लिए बनवाए नए घर बेहद घटिया दर्जे के है. उनकी मरम्मत के लिए तथा वहाँ नागरी सुविधा प्रदान करने के लिए ठाणे जिलाधिकारी ने माँगे रु. 14.89 करोड़ न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ने अब तक नहीं दिए है ऐसा श्री. राम नाईक ने बताने के बाद यह पैसे जल्द से जल्द प्राप्त कराने चाहिए, ऐसा भी पुनर्वास मंत्री ने अधिकारीयों को कहा.

''इस भेंट के कारण सालों उपेक्षित रहें प्रकल्पपीडित मछुआरों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है. अब और अधिक देरी न करते हुए पुनर्वास प्रक्रिया पुरी होनी चाहिए,'' ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अंत में कहाँ.

(कार्यालय मंत्री)